जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 17.11.2022

थाना आदर्श मण्डी

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 160 ग्राम नाजायज चरस व तोलने वाला इलैक्ट्रॉनिक कांटा बरामदः-

आज दिनांक 17.11.2022 को पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर शाहिल पुत्र रकमू निवासी मोहल्ला राजो वाली मस्जिद थाना कोतवाली नगर शामली जिला शामली को 160 ग्राम नाजायज चरस, इलेक्ट्रानिक कांटे के साथ गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बंध में थाना आदर्शमण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहिल पुत्र रकमू निवासी मोहल्ला राजो वाली मस्जिद थाना कोतवाली नगर शामली।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः

1.मु0अ0सं0 242/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना आदर्श मण्डी शामली।

2.मु0अ0सं0 317/2019 धारा 4/25आयुध अधि0 थाना आदर्श मण्डी शामली।

बरामदगी का विवरणः

1. 160 ग्राम नाजायज चरस ।
2. इलेक्ट्रनिक कांटा ।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार , कब्जे से 155 ग्राम चरस बरामदः-

दिनांक 16.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को 155 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शौकत पुत्र यामीन निवासी.मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. चरस 155 ग्राम।

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिलावर में स्थित पौराणिक शिव मंदिर में लगी संगमरमर की मूर्तियो को खण्डित करने की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 12/13.11.2022 की रात्रि को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिलावर में स्थित पौराणिक शिव मन्दिर में स्थापित संगमरमर की मूर्तियो को असमाजिक तत्व द्वारा खण्डित कर दिया गया था । घटना के सम्बन्ध में श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री रामदेव शर्मा निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली द्वारा लिखित तहरीर दी गयी , जिसके आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी आदर्शमण्डी मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर एवं थानाध्यक्ष आदर्शमण्डी के नेतृत्व में टीमो का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। गठित टीम द्वारा घटना स्थल से आवश्यक छानबीन करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए , जो थाना आदर्शमण्डी पुलिस को घटना के अनावरण में काफी सहायक सिद्ध हुए।

जिसके क्रम में आज दिनांक 17.11.2022 को थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा मुर्तिया खण्डित किए जाने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना को कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सबंध में थाना आदर्श मण्डी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि है कि दिनांक 12/13.11.2022 की रात को वह शराब के नशे में घर गया था तथा घरवालो के साथ मारपीट व कहासुनी हो गई इसी वजह से वह घर से निकलकर मंदिर पहुच गया फिर मंदिर मे जाकर नशे की हालत मे मूर्तियो को खण्डित कर दिया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अजय कुमार शर्मा पुत्र पं 0 हरपाल शर्मा निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>थाना कांधला</u>

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वाछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

आज दिनांक 17.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति वाहन तथा गैंगस्टर/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कांधला के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर गैंगस्टर अधिनियम मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सतपाल पुत्र रत्ना निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।

<u>अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मु0अ0स0 683/22 धारा 323/325/452/504 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 481/22 धारा 2/3 गै0एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 131/21 धारा 147/148/149/302/307/34/504 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा दौरान 02 वाछिंत चोर गिरफ्तार , कब्जे से चोरी किया सामान बरामदः-

आज दिनांक 17.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चौकिंगव तालाश वाँछित अपराधी गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी के मामले मे वांछित चल रहे 02 चोरो को चरथावल बस अड्डे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है जिनके पास से चोरी हुआ एक अदद मोवाइल लावा (कीपेड) व एक अदद गैस सिलेन्डर घरेलू मय रैगूलेटर इन्डेन का बरामद किये गये गये है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

दिनांक 16.11.2022 को थाना थानाभवन क्षेत्रांतर्गत निवासी खातून पत्नि इदरीश द्वारा उसके घर से नौशाद व इशाद द्वारा मौबाईल फोन व सिलेन्डर चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना थानाभवन पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. नौशाद पुत्र हारूण निवासी मौ0 अशरफ कालोनी कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. इरशाद पुत्र हारूण निवासी उपरोक्त।

बरामदगी का विवरणः-

एक अदद मोवाइल लावा (कीपेड)।

2.एक अदद गैस सिलेन्डर घरेलू मय रैगूलेटर इन्डेन।